कार्यालय जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी, देहरादून।

संख्या 1974 / आ0अनु0 / निर्णय / बार अनुज्ञापन / 2025–26, देहरादून दिनांक अक्टूबर, 13, 2025

:: निर्णय ::

दिनांक 11.10.2025 को सर्किल बार, राजपुर रोड़, देहरादून में Juggling & Fire show (आग से खेलने वाले प्रदर्शनों) के दौरान दो बार मैनों के दुर्घटना ग्रस्त / झुलस जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.10.2025 को समय पूर्वान्ह् 11:30 बजे श्री हर गिरी, प्रभारी अधिकारी (आबकारी) / उपजिलाधिकारी सदर, देहरादून, श्री वी0के0 जोशी, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, श्रीमती प्रेरणा बिष्ट, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–2, मसूरी एंव श्री विजेन्द्र भण्डारी, आबकारी निरीक्षक सेक्टर–2, देहरादून के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।

संयुक्त जांच टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजपुर रोड़ स्थित सर्किल एफ0एल0–7 बार अनुज्ञापन में दिनांक 11.10.2025 को तृतीय तल के हॉल में जिसमें घटना के समय लगभग 40–50 लोगों की भीड़ मौजूद थी, दो बार मैन श्री अभिषेक बिष्ट पुत्र श्री शिव सिंह निवासी– जय गांव पौड़ी, उत्तराखण्ड पिन–246144 एवं श्री प्रकाश सिंह नेगी निवासी–ग्राम–आला पो0 बोरा तहसील–घाट चमोली उत्तराखण्ड द्वारा Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आग से खेला जा रहा था, के दौरान दो बार मैन झुलस गये। उक्त कृत्य से वहां मौजूद सभी लोगों के आग मे झुलसने की सम्भावना थी एवं बड़ी आगजनी की घटना घटित हो सकती थी, चुकिं हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का कार्य किया गया है, जिससे मौके पर आग का बहुत बड़ा रूप लेने की प्रबल सम्भावना थी।

बार मैनों को मुख्यतः शराब परोसने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाता है, जबकि सर्किल एफ0एल0–7 बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य हेतु प्रयोजन में लाया गया जिस हेतु वे दक्ष नहीं थे। बार अनुज्ञापन में दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो कि आयोजकों की घोर लापरवाही का द्योतक है। इससे वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी एंव दो बार मैन जो इस Fire show के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुये है, के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आबकारी अधिनियम की **धारा–34** (b) & (e) **"Power to cancel or suspend the License etc"** के अनुपालन के विरूद्व निलम्बन की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

आदेश

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आबकारी अधिनियम 1910 की **धारा–34** (b)& (e) **"Power to cancel or suspend the License etc"** में प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्किल एफ0एल0–7 बार अनुज्ञापन वर्ष 2025–26 राजपुर रोड़, देहरादून का अनुज्ञापन 15 दिन के लिये निलम्बित किया जाता है। जिला आबकारी अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

दिनांक–13.10.2025

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी /
लाईसेंस प्राधिकारी,
देहरादून।